



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2017 / 00264

दर्ज तिथि:-07.07.2017

1. हीराराम पुत्र दुदाराम  
जाति जाट निवासी लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।  
.....वादी

बनाम

1. कौशलाराम पुत्र दुदाराम
2. भीखाराम पुत्र दुदाराम
3. केसीदेवी पत्नी भीखाराम
4. पूराराम पुत्र पीथाराम फौत के कायम मुकाम  
4/1 गिरधारीराम पुत्र पूराराम  
4/2 रामाराम पुत्र पूराराम  
जाति जाट निवासी लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।  
.....असल प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार नोखड़ा  
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादी:- श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 509/0.1214 है0, 510/0.1294 है0, 511/6.9250 है0 मौजा लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील नोखड़ा एवं खसरा संख्या 144/2.7102 है0,



170 / 2.0225 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

- वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 हाजा न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 06.01.2021 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1172 दिनांक 06.05.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रैजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1172 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b>                      - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 01.04.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक/2024/81-85 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.04.2024 के बारे में</p>

बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	2. पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक/2024/81-85 दिनांक 26.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
---	--

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 509/0.1214 है0, 510/0.1294 है0, 511/6.9250 है0 मौजा लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील नोखड़ा एवं खसरा संख्या 144/2.7102 है0, 170/2.0225 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 509/0.1214 है0, 510/0.1294 है0, 511/6.9250 है0 मौजा लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील नोखड़ा एवं खसरा संख्या 144/2.7102 है0, 170/2.0225 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	गांव	खसरा	रकबा	किस्म
हीराराम पुत्र दूदाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	लाखाणी मेगवालों की ढाणी	511	1.4885	बा0सो0
किता 01 रकबा 1.4885 हैक्टेयर				
केसीदेवी पत्नी भीखाराम हि0 1/3	लाखाणी	510	0.1294	गै0मु0
कोशलाराम पुत्र दूदाराम हि0 1/3	मेगवालों की ढाणी	511	1.9700	बा0सो0
भीखाराम पुत्र दूदाराम हि0 1/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलकोट	144	2.3663	बा0सो0
किता 03 रकबा 4.4657 हैक्टेयर				
रामाराम पुत्र पूराराम हि0 1/2	लाखाणी	509	0.1214	गै0मु0
गिरधारीराम पुत्र पूराराम हि0 1/2	मेगवालों की ढाणी	511	3.4665	बा0सो0
कौम जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलकोट	144	0.3439	बा0सो0
		170	2.0225	बा0सो0
किता 04 रकबा 5.9543 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2017 / 00264

दर्ज तिथि:-07.07.2017

1. हीराराम पुत्र दुदाराम  
जाति जाट निवासी लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।  
.....वादी  
बनाम

1. कौशलाराम पुत्र दुदाराम
2. भीखाराम पुत्र दुदाराम
3. केसीदेवी पत्नी भीखाराम
4. पूराराम पुत्र पीथाराम फौत के कायम मुकाम  
4/1 गिरधारीराम पुत्र पूराराम  
4/2 रामाराम पुत्र पूराराम  
जाति जाट निवासी लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।  
.....असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार नोखड़ा  
.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादी:- श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 88, 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

### :-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 509/0.1214 है0, 510/0.1294 है0, 511/6.9250 है0 मौजा लाखाणी मेगवालों की ढाणी तहसील नोखड़ा एवं खसरा संख्या 144/2.7102 है0, 170/2.0225 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के

मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	गांव	खसरा	रकबा	किस्म
हीराराम पुत्र दूदाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	लाखाणी मेगवालों की ढाणी	511	1.4885	बा0सो0
किता 01 रकबा 1.4885 हैक्टेयर				
केसीदेवी पत्नी भीखाराम हि0 1/3	लाखाणी	510	0.1294	गै0मु0
कोशलाराम पुत्र दूदाराम हि0 1/3	मेगवालों की ढाणी	511	1.9700	बा0सो0
भीखाराम पुत्र दूदाराम हि0 1/3	निम्बलकोट	144	2.3663	बा0सो0
किता 03 रकबा 4.4657 हैक्टेयर				
रामाराम पुत्र पूराराम हि0 1/2	लाखाणी	509	0.1214	गै0मु0
गिरधारीराम पुत्र पूराराम हि0 1/2	मेगवालों की ढाणी	511	3.4665	बा0सो0
कौम जाट सा0 देह खातेदार	निम्बलकोट	144	0.3439	बा0सो0
		170	2.0225	बा0सो0
किता 04 रकबा 5.9543 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर